# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

**राष्ट्रीय साधारण सभा, अमरावती ( महाराष्ट्र ) में पारित प्रस्ताव**

**प्रस्ताव क्र. : 1**

# शिक्षा में निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मानना है कि किसी भी समाज के भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नयन के प्रकटीकरण का स्रोत उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित क्षमताओं को परिष्कृत कर पूर्णता की ओर अग्रेसित करती है तथा राष्ट्र हेतु मानव संसाधन के कुशल निर्माण में आधारभूत भूमिका का निर्वहन करती है।

शिक्षा के विविध आयामों में आदर्श शिक्षक, श्रेष्ठ पाठ्यक्रम, रुचिपूर्ण शैक्षिक वातावरण व शिक्षण पद्धति के साथ-साथ निष्पक्ष एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन पद्धति भी शिक्षा व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग है। जब तक शिक्षार्थी सम्प्रेषित ज्ञान को कितना ग्रहण कर पाया, इसका निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं होता, तब तक शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्य में सफल नहीं कही जा सकती। समग्र एवं उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन प्रणाली तभी संभव है, जब शिक्षार्थी के बौद्धिक स्तर के साथ-साथ उसके व्यावहारिक ज्ञान, सह शैक्षणिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी के साथ-साथ उसके नैतिक मूल्यों एवं अभिरुचियों का भी निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन संभव हो सके।

प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल पद्धति में शिक्षार्थी वर्षों गुरु के अनुशासित संरक्षण में ज्ञानार्जन करता था, जहाँ उसे गुरु के सतत् सानिध्यवश सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक ज्ञान भी सहज प्राप्त होता था। गुरु विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन करने के बाद ही समाज में लौटने की आज्ञा देता था। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा सरकारी नौकरी योग्य युवा तैयार करने हेतु एक विशेष शिक्षण व्यवस्था तथा समग्र मूल्यांकन के स्थान पर अल्पावधि की 'स्मरण शक्ति' के आधार पर मूल्यांकन पद्धति का विकास किया गया। यही 'रटंत' आधारित मूल्यांकन पद्धति कमोबेश आज भी प्रचलित है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण राष्ट्र में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, वहाँ गुणवत्तापूर्ण 'सर्वशिक्षा' का लक्ष्य प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। वित्तीय संसाधनों व भौतिक सुविधाओं की कमी के साथ-साथ योग्य शिक्षकों की कमी के कारण न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बल्कि निष्पक्ष व उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन ही दिवास्वप्न नजर आता है। प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति के अभाव में बच्चों के पढ़ने-लिखने की क्षमता व जोड़-बाकी तक की क्षमता में निरंतर गिरावट चिंता का विषय है। माध्यमिक स्तर पर, जहाँ विद्यार्थी अपने भावी जीवन के लक्ष्य को समझने-संजोने की क्षमता अर्जित कर सके, समाज के लिए नैतिक बल से समावृत सुपात्र नागरिक बन सके, इस हेतु छात्र का निरंतर व समग्र मूल्यांकन अपेक्षित है। इसी मूल्यांकन के आधार पर शिक्षक उसकी प्रतिभा को दिशा दे सकता है। किन्तु परम्परागत 'स्मृति परीक्षण' आधारित मूल्यांकन पद्धति में यह संभव नहीं, भले ही यह मूल्यांकन साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर ही क्यों न किया जा रहा हो! महसूस किया जा रहा है कि परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या व योग्य अनुभवी शिक्षकों की कमी के कारण निष्पक्ष मूल्यांकन मुश्किल होता जा रहा है। शीघ्र अथवा कम समय में परिणाम जारी करने की बाध्यता के भारी दबाव के कारण भी निष्पक्ष मूल्यांकन प्रभावित होता है। साथ ही अंक आधारित परीक्षा प्रणाली के कारण कोचिंग, पास बुक्स, गाइड्स व संगठित नकल के व्यवसाय पनपने लगे हैं। प्रतीत होता है कि ज्ञानार्जन के स्थान पर येन-केन-प्रकारेण कागजी डिग्री प्राप्त करना ही आज के विद्यार्थियों का लक्ष्य हो गया है, जो व्यवसाय के लिए पासपोर्ट साबित हों।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है, शिक्षा के सभी स्तरों पर तनाव रहित परीक्षा के साथ-साथ सतत् व समग्र मूल्यांकन लागू किया जाए, जिससे विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर, व्यावहारिक ज्ञान, सह शैक्षणिक एवं क्रीड़ा गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों एवं अभिरुचियों का मूल्यांकन संभव हो सके। सतत् व समग्र मूल्यांकन के साथ-साथ अंक आधारित मूल्यांकन के स्थान पर ग्रेड आधारित मूल्यांकन अति आवश्यक है। तब ही शिक्षा तनाव रहित, अंकों की बढ़ती प्रतिस्पर्धी भूख व इससे उत्पन्न हताशा व असंतोष पर अंकुश लगाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों हेतु प्रवेश परीक्षा व रोजगार पाने हेतु राज्य लोक सेवा आयोग की कोई सर्वमान्य व निष्पक्ष परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था बनाई जाए। इन सभी व्याधियों का निदान तब ही संभव है जब शिक्षा की पठन सामग्री, भौतिक सुविधाओं, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था के साथ-साथ सभी स्तरों पर मूल्यांकन की निष्पक्ष व उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था को विकसित करने में भौतिक व वित्तीय संसाधनों की कोई कमी सरकार द्वारा न रखी जाए। ❑

# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

**राष्ट्रीय साधारण सभा, अमरावती ( महाराष्ट्र ) में पारित प्रस्ताव**

**प्रस्ताव क्र. : 2**

## स्वदेशी बनाम चीनी

देशभक्ति के अमूर्त भाव का एक मूर्त स्वरूप 'स्वदेशी' है। 1931 में गाँधी-इरविन शीर्ष-वार्ता में अपराह्न के समय जब इरविन के लिए चाय और गाँधी जी के लिए नींबू पानी आता है, तो गाँधी जी एक पुड़िया निकालकर गिलास में डालते हैं। वायसराय इरविन के उत्सुकतापूर्वक पूछने पर बापू बताते हैं कि आपके नमक-कानून का उल्लंघन करके मैंने जो नमक बनाया था, यह वही नमक है। गाँधी जी का यह एक उदाहरण स्वदेशी के मर्म को सरलता से समझने के लिए पर्याप्त है। गत दो दीपावली-महोत्सवों के मध्य संपूर्ण भारत ने एक स्वत: स्फूर्त स्वदेशी आंदोलन देखा है। सब तरफ चीनी उत्पाद के बहिष्कार की एक प्रबल लहर न केवल देखी, अनुभव की गई अपितु इसका प्रत्यक्ष व्यापक प्रभाव भी दिखा। यह आन्दोलन केवल स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग व चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का ही नहीं है, अपितु यह इसका भी प्रमाण है कि 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्' इस वैदिक उपदेश के अनुरूप समस्त भारतीयों का सोच व मन एक है!

चीन की विकास-दृष्टि मात्र अधिकतम धनोपार्जन पर आधारित है, उसमें पर्यावरण, संस्कार, जीवन-मूल्य, सद्भावना एवं सह अस्तित्व कहीं भी मायने नहीं रखते। चीन का विकास मॉडल अधिकतम प्राकृतिक दोहन वाला व विस्तारवादी नीति के कारण अन्य देशों की सम्प्रभुता का शुद्ध रूप से अतिक्रमण करने वाला है, यही कारण है कि यदि हम चीनी उत्पादों को खरीदते चले गये तो हम कभी भी विश्व को विकल्प नहीं दे सकेंगे। हम चीनी खिलौने, पेन, बल्ब, सोलर पैनल, मोबाईल, पावर प्लांट से लेकर रेलों के उपकरण तक चीन से खरीदेंगे तो देश के इन क्षेत्रों के उद्योग बंद होंगे और हम एक उद्योग रहित व प्रौद्योगिकी-विहीन देश बनने की ओर अग्रसर होंगे। इसके साथ ही चीनी उत्पाद का सर्वाधिक बुरा प्रभाव हमारे रोजगार-क्षेत्र पर हुआ है। कभी भारत का खिलौना-उद्योग एक बड़ा उद्योग था, किन्तु चीनी खिलौना आयात ने इस उद्योग को चौपट किया, इसमें लगे लाखों कारीगर बेकार हो गए और स्थिति यह है कि बाजार में स्वदेशी खिलौने खोजने पर भी कठिनाई से ही मिलते हैं। अलीगढ़ का ताला उद्योग हो या पानीपत का दरी-कंबल उद्योग, अम्बाला की मिक्सी हो या जालंधर की खेल-वस्तु-इण्डस्ट्री, शिवाकाशी की पटाखा-इण्डस्ट्री हो या सूरत की साड़ी, गुजरात का टाईल-उद्योग हो या कानपुर का चमड़ा-उद्योग, फिरोजाबाद का काँच उद्योग हो या लुधियाना की साईकिल-इण्डस्ट्री। इन सब पर सस्ते चीनी उत्पाद की भयंकर मार पड़ने से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं।

इसके अतिरिक्त सीमा-क्षेत्र पर समय-समय पर खड़ी की गई डोकलाम जैसी परेशानियों की बात हो, पड़ौसी पाकिस्तान व नेपाल पर अपना दबदबा बढ़ाकर भारत को घेरने की असफल कोशिश का बिन्दु हो, अजहर मसूद जैसे मसलों पर संयुक्त राष्ट्र में वीटो के प्रयोग का मुद्दा हो, एनएसजी में भारत की सदस्यता के मार्ग में बार-बार बाधा उपस्थित करने का विषय हो या पाक अधिकृत कश्मीर में से होते हुए आर्थिक गलियारे के निर्माण का प्रश्न हो- भारत को परेशान करने का कोई भी अवसर चीन नहीं छोड़ता है।

अत: शिक्षा के साथ-साथ समाज व राष्ट्र के व्यापक हित से सम्बद्ध हर मुद्दे पर अपनी जागरूकता का परिचय देने वाला अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अपने लक्षाधिक शिक्षकों, शिक्षाविदों व कार्यकर्ताओं का आह्वान करता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, व्यापार-सन्तुलन करने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक दीर्घकालिक और निरंतर चलने वाला अभियान चलाना होगा। चीनी वस्तुएँ चाहे सस्ती हों या महँगी, उत्कृष्ट हों या निकृष्ट, उपयोगी हों या अनुपयोगी, महत्त्वपूर्ण हों या गौण- हमें चीनी माल का मोह त्यागना ही होगा। चालाक चीन के प्राण, व्यापार नामक तोते में बसते हैं और यह निश्चित है कि इस मायावी तोते की गर्दन दबाने भर से चीन हाँफने लग जाएगा। भारत के उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए और स्वावलम्बन के लिए तथा कुल मिलाकर दुनिया का एक सर्वसमर्थ देश बनाने के लिए स्वदेशी के प्रसार तथा चीनी उत्पाद के बहिष्कार के इस महत्त्वाधायी आन्दोलन को पूरी एकजुटता, समधिक ऊर्जा व प्रतिबद्धता के साथ चलाना होगा। इस राष्ट्रीय अभियान में सभी से तन-मन पूर्वक जुटने की अपेक्षा है।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केन्द्र व राज्य सरकारों से माँग करती है कि स्वदेशी के प्रोत्साहन, सम्वर्द्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाये। ❑

# अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

## राष्ट्रीय साधारण सभा, अमरावती ( महाराष्ट्र ) में पारित प्रस्ताव

**प्रस्ताव क्र. : 3**

## शिक्षा एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण अविलम्ब किया जाये

शिक्षा एवं शिक्षकों की अनेक ऐसी समस्याएँ हैं जो लम्बे समय से शासन की उपेक्षा के कारण अनिर्णीत हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की अपेक्षा है कि वर्तमान संवेदनशील सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी।

1. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू किया जाये।
2. 1 जनवरी 2004 से पूर्व की पेंशन योजना सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में पुन: बहाल की जाये।
3. सम्पूर्ण देश में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाये।
4. शैक्षणिक पदों पर नियमित एवं स्थायी नियुक्ति सुनिश्चित की जाये और शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुदृढ़ एवं नियमित व्यवस्था हो।
5. देश के सभी महाविद्यालयों में विभिन्न शिक्षक पदों का नामकरण एक समान यू.जी.सी. की अनुशंसा के अनुरूप सहायक प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में किया जाये।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ सुनिश्चित किया जाये।
7. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में महाविद्यालय प्राचार्य का कार्यकाल 5 वर्ष तक सीमित न करके सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक रखा जाये।
8. ओरियन्टेशन तथा रिफ्रेशर कोर्सेज की छूट की अवधि 31 दिसम्बर 2017 तक बढाई जाये।
9. कार्यरत शिक्षकों को पीएच.डी. कोर्स वर्क से मुक्त किया जाये।
10. अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान की कोषागार भुगतान व्यवस्था हो।
11. सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा प्रदान कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो।
12. प्रोन्नति के लिए पूर्व सेवाकाल को गणना में सम्मिलित किया जाये।
13. शैक्षिक स्टाफ की शिक्षकों के साथ समकक्षता स्थापित हो।
14. शिक्षा सेवा संवर्ग (Cadre) पृथक से बनाया जाये।
15. शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही कराए जायें।
16. सम्पूर्ण देश के सरकारी विद्यालयों में प्रवेश आयु तीन वर्ष की जाये।
17. राष्ट्रीय अस्मिता, भारतीय जीवन मूल्यों, मानव एवं चरित्र निर्माण, सामाजिक सरोकार, मौलिक चिन्तन, शोध एवं नवाचार से युक्त सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति की पुन:संरचना की जाये।
18. शिक्षा व्यवस्था के नियोजन, नियमन एवं नियन्त्रण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षाविदों से युक्त स्वतन्त्र एवं स्वायत्त नियामक शिक्षा आयोग का निर्माण हो।
19. सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय सुनिश्चित करे ताकि आधारभूत सुविधाएँ जैसे शिक्षक, पुस्तकें, भवन, खेल के मैदान आदि उपलब्ध हो सकें।
20. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायत्तता को बहाल किया जाये एवं शिक्षा सम्बन्धी सभी निर्णयों में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप बंद हो।
21. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को सुसंगत एवं व्यावहारिक बनाया जाये तथा उनकी पालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं प्रदान की जायें।
22. प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में ही दी जाये।
23. शिक्षा के बाजारीकरण पर नियन्त्रण सुनिश्चित हो।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की यह साधारण सभा केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करती है कि उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर शिक्षकों को उनका न्यायोचित अधिकार प्रदान करें। ❑